


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1456 /
II-14-67/59 VI

जबलपुर, दिनांक 24/03/2023

कु. मनीषा राजपाल एवं श्री अमीर मोहम्मद भिश्ती, दोनों जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/प्रशिक्षण, दिनांक 12.11.59, ज्ञापन क्रमांक 727-397-चार-नि-6, दिनांक 16-05-1961 तथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग का पत्र क्रमांक /डी.टी.ए./परीक्षा/2016/56 दिनांक 30-05-2016 में निहित निर्देशों के अनुसार लेखा प्रशिक्षण परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित कर उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप एक अग्रिम वेतन वृद्धि परीक्षा समाप्त होने के दिनांक 20-11-2022 के अगले दिन अर्थात् दिनांक 21-11-2022 से स्वीकृत की जाती है।


(राजेश्वर जनरल)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक D/1457 /
II-14-67/59 VI

जबलपुर, दिनांक 24/03/2023

प्रतिलिपि :-

- प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर इस अनुरोध के साथ कि कु. मनीषा राजपाल एवं श्री अमीर मोहम्मद भिश्ती, दोनों जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की टीप उनकी सेवा पुस्तिका में लिये जाने हेतु,
- रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- ओ.एस.डी. (एकाउंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जे), स्थापना, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
- रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- कु. मनीषा राजपाल, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
- श्री अमीर मोहम्मद भिश्ती, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्र)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)